प्रतिपूरक वनीकरण से संबन्धित धनराशि जमा करने के संबंध मे वचन बद्धता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि एन०टी०पी०सी० रिहंदनगर बीजपुर, जिला-सोनभद्र द्वारा रेनुकूट वन प्रभाग के जरहा रेंज अन्तर्गत ग्राम-बीजपुर,डोड़हर,अधौरा,मिटिहिनी,खैरी,सिरसोती,झीलो एवं खम्हरिया कि 961.620 हे० वन भूमि रिहन्द सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए हस्तांतरण हेतु अनुरोध किया गया । उक्त अनुरोध के आधार पर भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी०जी०ओ० काम्प्लेक्स लोदी रोड नई दिल्ली के आदेश संख्या-412/89 एफ़०सी० दिनांक-23.08.1991 द्वारा 744 हे० वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु दो शर्तो के अधीन सैद्धांतिक स्वीकृति आदेश जारी किया गया ।

उक्त 744 हे० वन भूमि के संबंध मे भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज ज़ोर बाग रोड नई दिल्ली के पत्र संख्या एफ़०नं० 8-412/1989-एफ़०सी०(पी०टी०) दिनांक-06 दिसंबर 2017 व इसके क्रम मे दिनांक 14.12.2017 को मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ की अध्यक्षता मे सम्पन्न हुई बैठक तथा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या -1404/11 सी लखनऊ दिनांक 21.11.2017 के अनुपालन मे एन०टी०पी०सी० द्वारा उपयोग मे लायी जा रही 555.759 हे० वन भूमि के हस्तांतरण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा । इस संबंध मे प्रतिपूरक वनीकरण तथा उसके अनुरक्षण या दंड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण के लागत के साथ - साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वानिकी प्रयोग हेतु जो शर्त भारत सरकार/उ०प्र० सरकार द्वारा लगाई जाएगी उनका अनुपालन करने का एनटीपीसी रिहंद परियोजना वचनबद्धता प्रस्तुत करता है ।

एनटीपीसी /रिहंद नगर के लिए
एवं उसकी ओर से

(अनित कुमार)
उपमहाप्रबंधक (मा०सं०)

अनित कुमार / ANIT KUMAR
उप महाप्रबंधक (मा० सं०)/DGM (H.R.)
एनटीपीसी लि० रिहंद/NTPC Ltd. Rihand
... Sonebhadra (U.P.) 231223

(मनमोहन मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रेणुकूट वन प्रभाग, रेणुकूट-सोनभद्र

क्षेत्रीय वन अधिकारी
जरहाँ रेन्ज
रेनुकूट वन प्रभाग